

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश म.जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 196/इंदौर/2022

निर्धारण वर्ष : 2018-19

सीता होम्स प्रा.लि., 108, इंदौर ट्रेड सेंटर, 3/2, साऊथ तुकोगंज, इंदौर	बनाम	आयकर उपायुक्त-सीपीसी, बेंगलुरु
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएजीसीएस 5892 के PAN- AAGCS5892K		

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री निशा लाहोटी, सीए
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.04.2025
उद्घोषणा तिथि	29.04.2025

आदेश

श्री परेश म.जोशी, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 14.07.2022 के विरुद्ध निदेशित, है जो कि आयकर उपायुक्त-सीपीसी, बेंगलुरु के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन आदेश दिनांक 05.11.2019 से उद्भूत है।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने "प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया है। निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 1 की प्रति भी दाखिल की गई हैं। अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का

अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है । निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 29.04.2025 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(परेश म.जोशी)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 29.04.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,
गार्ड फाईल